सँख्या / 78 /XXIV-3/2006

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरॉचल, देहरादून ।

शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनॉक 27 जनवरी,2006

विषयः राजकीय इण्टर कालेजों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या नियोजन–4 / 30107 / मा0मु0 घोषणा / 2005–06 दिनॉक 8–9–2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार अतिरिक्त कक्षा–कक्षों एवं बरामदे के निर्माण हेतु कुल रू0 95.00 लाख (रूपये पिचानबे लाख मात्र) की धनराशि को, शासनादेश संख्याः 630 / XXIV–2 / 2005 दिनॉक 29–4–2005 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 822.24 लाख में से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(1)– चार (04) कक्षा–कक्षों के निर्माण हेतु मॉडल आगणन की लागत रू0 10.00 लाख अनुमोदित की जाती है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है। मॉडल आगणन के अनुसार संलग्न विवरण में उल्लिखित स्वीकृत संख्या में कक्षा–कक्षों एवं बरामदे का निर्माण उनके सम्मुख स्वीकृत धनराशि की सीमा में प्रधानाचार्य द्वारा पी0टी0ए0 के सहयोग से सम्पादित किया जायेगा। निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण चार चरणों में यथा नींव, विन्डो, छत तथा फिनिशिंग स्तर पर जिला अधिकारी द्वारा नामित विकास खण्ड में कार्यरत अवर अभियन्ता की देख–रेख में एम0बी0 करने के उपरान्त किया जायेगा।

(2)– समस्त धनराशि पी0टी0ए0 को हस्तानान्तरित की जायेगी। निर्माण ऐजेन्सी का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से निर्माण ऐजेन्सी में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इस हेतु शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

(3)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(4)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(5)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(6) – कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(7)– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।

(8)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(9)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जानी वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(10)– प्रति विद्यालय स्वीकृत धनराशि सें आगणन के साथ संलग्न मानचित्र में इंगित एरिया के अनुसार कार्य को पूर्ण करना आवश्यक होगा।

(11)– निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित प्रधानाचार्य एवं अभियन्ता उत्तरदायी होंगे। अनुमोदित लागत पर ही निर्माण कार्य को पूरा किया जाय।

2– उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहॉ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक– 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा– 202 –माध्यमिक शिक्षा– आयोजनागत– 11– राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्णशीर्ण भवनों का निर्माण – 24– वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 37/वित्त अनु0–3/2005 दिनाँक 27–01–2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

संख्याः 78 (1)/XXIV–3/2006 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तरांचल, देहरादून।
2– निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4– जिलाधिकारी, पौड़ी / टिहरी।
5– कोषाधिकारी, पौड़ी / टिहरी।
6– जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी / टिहरी।
7– मुख्य मंत्री कार्यालय (घोषणा अनुभाग)।
8– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
9– वित्त विभाग / नियोजन प्रकोष्ठ।
10– कम्प्यूटर सेल(वित्त विभाग)
11– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल, देहरादून।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

शासनादेश संख्याः 78/XXIV-3/2006 दिनाँक 27 जनवरी,2006 का संलग्नक–

(धनराशि लाख रूपये में)

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	2	4
1–रा0इ0का0 गारूड़धार, टिहरी।	02 कक्षा–कक्ष व बरामदे का निर्माण (मॉडल आगणन के अनुसार)	5.00
2–रा0इ0का0 रजाखेत, टिहरी।	02 कक्षा–कक्ष व बरामदे का निर्माण (मॉडल आगणन के अनुसार)	5.00
3–रा0इ0का0 ओखलाखाल, टिहरी।	02 कक्षा–कक्ष व बरामदे का निर्माण (मॉडल आगणन के अनुसार)	5.00
4–रा0इ0का0 कल्जीखाल, पौड़ी गढ़वाल	04 कक्षा–कक्ष व बरामदे का निर्माण (मॉडल आगणन के अनुसार)	10.00
5–रा0इ0का0 कंडारा, पौड़ी गढ़वाल	04कक्षा–कक्ष व बरामदे का निर्माण (मॉडल आगणन के अनुसार)	10.00
6–रा0इ0का0 साकनीखेत, पौड़ी गढ़वाल	04कक्षा–कक्ष व बरामदे का निर्माण (मॉडल आगणन के अनुसार)	10.00
7–रा0इ0का0 एकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल	04 कक्षा–कक्ष व बरामदे का निर्माण (मॉडल आगणन के अनुसार)	10.00
8–रा0इ0का0 मुण्डनेश्वर, पौड़ी गढ़वाल	04कक्षा–कक्ष व बरामदे का निर्माण (मॉडल आगणन के अनुसार)	10.00
9–रा0इ0का0 देवलगढ़,पौड़ी गढ़वाल	04 कक्षा–कक्ष व बरामदे का निर्माण (मॉडल आगणन के अनुसार)	10.00
10–रा0इ0का0 कठूली, पौड़ी गढ़वाल	04 कक्षा–कक्ष व बरामदे का निर्माण (मॉडल आगणन के अनुसार)	10.00
11–रा0इ0का0 जखण्ड, टिहरी।	04 कक्षा–कक्ष व बरामदे का निर्माण (मॉडल आगणन के अनुसार)	10.00
योग–		95.00

(रूपये पिचानबे लाख मात्र)

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव